ISSN - 2231-1130
वर्ष–सप्तम् ; सितम्बर–2016

महिला हिंसाः 'सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में'

डा0 संध्या पाण्डेय*

महिला हिंसा का तात्पर्य मानवीय समाज में महिलाओं की मूलभूत आवश्यकताओं का हनन है सबसे दुख की बात यह है कि महिलाओं को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है इसमें महिला भ्रूण हत्या, महिला शिशु हत्या, बाल विवाह, महिलाओं में विपरीत लिंग अनुपात, महिलाओं की शिक्षा और साक्षरता के प्रति घोर अन्याय, मातृत्व कुपोषण, कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न, छेड़–छाड़, बलात्कार के साथ–साथ घरेलू हिंसा की भी शिकार हो रही हैं । नारी हिंसा की अभिव्यक्ति विभिन्न रूपों में होती है इसमें एक विभत्स रूप बलात्कार है । अमरीका में एक वर्ष में प्रत्येक एक लाख में लगभग 40 महिलाएं बलात्कार की शिकार होती हैं वहीं भारत में प्रत्येक 5 मिनट में एक बलात्कार होता है भारत में प्रत्येक 24 घण्टे में 33 से अधिक महिलायें या तो जिन्दा जला दी जाती हैं या मार दी जाती हैं। अधिकाश हत्याये दहेज के लिए होती हैं। महिलाओं की यह हिंसा तो उनके जन्म के पहले से ही प्रारम्भ हो जाती हैं अगर होने वाली सन्तान लड़की है तो भ्रूण हत्या निश्चित है, अपराध एवं हिंसा सार्वभौमिक हो गयी है मानवीय सामाजिक जीवन बिताने के कर के रूप में अपराधिक हिंसा को सहन करना पड़ता है । स्त्रियों के प्रति हिंसा की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है नारी को सुरक्षा एवं सुख प्रदान करने के बदले पुरूषों ने उन्हें तिरस्कृत किया है, उसकी उपेक्षा, अपमान एवं अनादर किया है । यहाँ तक कि उसके साथ अमानवीय हिंसात्मक व्यवहार भी किया है उन्हें शारीरिक–मानसिक यातनायें देना, उसके साथ मारपीट करना, उनका शोशण करना, स्त्रीत्व को नंगा करना, भूखा–प्यासा रखकर या जहर देकर उसको दहेज की बलि चढ़ा देना निश्चित रूप से स्त्री के प्रति हिंसा एवं अपराध ही कहे जायेंगे ।

* प्रवक्ता, समाजशास्त्र, जगत तारन गर्ल्स डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद।

महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों एवं हिंसा को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है –

- अपराधिक हिंसा – इसके अंतर्गत पुरूष द्वारा स्त्री के प्रति आपराधिक हिंसा की प्रकृति के कारण किये जाते हैं जैसे – बलात्कार, अपहरण, तथा हत्या इस प्रकार के प्रमुख उदाहरण हैं।
- दूसरे प्रकार के, घरेलू हिंसा के अंतर्गत शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न को सम्मिलित किया जाता है ।
- तीसरे प्रकार की श्रेणी सामाजिक हिंसा जिसमें पत्नी / बहू को भ्रूण हत्या के लिये विवश करना, दहेज लाने जैसी हिंसक वारदातों को सम्मिलित किया जाता है । सामाजिक हिंसा को यौन शोषण एवं यौन उत्पीड़न के रूप में देखा जाता है ।

न्यायमूर्ति डा0 पी0 वेनुगोपाल ने 'भावात्मक एवं लैंगिक दुर्व्यवहार को घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण बताया है। कई बार ऐसी घटनायें पति नशे में भी करते हैं'

वे सभी क्रियायें जो किसी भी स्वतन्त्रता सहज प्रसन्नता केवल विशेष के कारण बाधित करे अत्याचार कहलाती हैं । महिलाओं पर सदियों से अत्याचार हो रहे हैं उसे हर सामाजिक–राजनीतिक और यहाँ तक की धार्मिक परिवर्तनों के दौरान मौन होकर विभिन्न प्रकार के अत्याचारों का सामना करना पड़ता है महिलाओं को शिक्षण संस्थानों और दफ्तरों व अन्य कार्य स्थलों में महिलायें यौन शोषण का शिकार हो रही हैं नारी न तो सड़क पर सुरक्षित है और न ही आफिस में, यहाँ तक की घर के भीतर भी सुरक्षित नहीं है। समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों अपराधविज्ञान विशेषज्ञों के लिए अत्याचार चुनौती बने हुये हैं । जहाँ तक हमारे देश का प्रश्न है अनेक कानून कन्याओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनायें हैं परन्तु इसके बावजूद स्त्रीयों की दशा में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आया है स्वामी विवेकानन्द ने भारत की स्त्रियों के विषय में चिन्ता प्रकट की थी भारत में दो बड़ी बुरी बातें हैं – 1. स्त्रीयों का तिरस्कार, गरीबों को जातिभेद द्वारा पीसना, स्त्रियों की

स्थिति में सुधार हुये बिना संसार का कल्याण सम्भव नहीं है, महिलायें शिक्षित होंगी तभी तो देश का भविष्य उज्जवल होगा । देश में विद्या ज्ञान की शक्ति जाग उठेगी । महिलाओं की स्थिति एवं स्तर के सुधार के लिए इसकी शुरूआत सामाजिक स्तर पर ही होनी चाहिये, महिलाओं की वैधानिक स्थिति ठीक करने उससे सम्बन्धित मौजूदा वैधानिक प्रावधानों पर प्रभावी ढंग से अमल करने स्वास्थ्य सुरक्षा पर ध्यान देने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने में महिलाओं के संदर्भ में मानव अधिकारों का दृढ़ता से पालन करने से ही महिलाओं की दशा में सुधार लाया जा सकता है ।

अतः महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनके प्रति होने वाली हिंसा और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए निम्न प्रयासों की आवश्यकता है जो निम्न हैं –

1. महिलाओं की स्थिति को शिक्षा, प्रभावी वैधनिक उपायों एवं प्रशिक्षण तथा रोजगार द्वारा सुधारा जा सकता है ।
2. महिला समस्या से सम्बन्धित परामर्श केन्द्रों की स्थापना की जाये ।
3. महिलाओं को आश्रय देने वाले स्वयं सेवी संगठन को प्रोत्साहन देना।
4. महिला संगठनों का निर्माण व प्रचार ताकि महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता एवं परामर्श मिल सके ।
5. पृथक महिला न्यायालयों की स्थापना ताकि हिंसा की शिकार महिलाओं को शीघ्र न्याय मिल सके ।
6. जनसंचार माध्यमों द्वारा महिलाओं के प्रति हिंसा के संदर्भ में मानवता वादी एवं सकारात्मक भूमिका का निर्वहन हो ।

इसके साथ ही सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को अपनी भूमिका और अधिक सजगता से निभानी होगी जिससे नारी हिंसा से सम्बन्धित अधिक से अधिक मामले सामने आ सकें तथा उनकी समस्या का निराकरण हो सके । इस दिशा में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, समाज कल्याण विभाग एवं अन्य सामाजिक संगठन के बीच समन्वय कायम करने एवं कुटिल मानसिकता में बदलाव लाने की भी आवश्यकता है ताकि स्त्रियों की दशा में

सुधार सम्भव हो सके । साथ ही नारी को स्वयं भी इतना जागरूक होना होगा कि वह स्वयं के विरूद्ध होने वाली हिंसा का विरोध कर सकें और सामाजिक बन्धन व दायित्व उसे ऐसा करने से रोक न सकें। तभी महिलाओं को हिंसा, अत्यचार और भेदभाव से छुटकारा मिल सकता है ।

संदर्भ –

1. आहूजा, राम, सोशल प्राब्लम इन इंडिया, पृ0 215–218
2. प्रभु, पी0एच0, हिन्दु सोशल आर्गनाइजेशन, पृ0 191
3. पाण्डेय, संगीता, भारत में सा0 समस्यायें, पृ0 126, 128, 129
4. बाजपेई, अन्जु एवं बाजपेई, जी0के0 फिमेल क्रिमिनैलिटी इन इंडिया रावत पब्लिकेशन, जयपुर 2000
5. आहूजा, राम, वायलेंस अगेन्स विमन, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1998।
6. सेठ, मीरा, विमेन डेवलपमेन्टः दी इंडियन एक्ससेज, पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2001